

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

‘झारखण्ड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार (भा.स.) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जिसे बाद में अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नाम दिया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।

झारखण्ड मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के ग्रामीण आबादी के 80 प्रतिशत कृषि पर निर्भर है। मौसमी वर्षा की अनिश्चितताओं पर कृषि की निर्भरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कुल कृषि योग्य क्षेत्र का 92 प्रतिशत असिंचित है। चूँकि कृषि का स्वरूप मौसमी है, इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) को राज्य में प्रभावी रूप से लागू करने की पर्याप्त संभावना है, विशेषकर जब इसे कृषि के मंद (कम कार्य वाले) मौसम के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि उस समय कार्य की मांग अधिक हो सकती है।

झारखण्ड में मनरेगा के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, 2019-24 की अवधि के लिए, मनरेगा आयुक्त के अभिलेखों के नमूना जांच और जिला (6), प्रखंड (12) और ग्राम पंचायत (48) स्तरों पर नमूना-जांचित कार्यालयों में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, 480 चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन और मनरेगा लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखापरीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया; मनरेगा योजना के लिए निर्धारित निधियों के आवंटन, विमुक्त तथा उपयोग और अनुश्रवण, आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण तंत्र की जांच की।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- लेखापरीक्षा ने पाया कि योजना के लिए श्रम बजट तैयार करने के लिए बॉटम-अप दृष्टिकोण का उपयोग नहीं किया गया था और घर-घर और बेसलाइन सर्वेक्षणों के आधार पर काम की मांग का आकलन ठीक से नहीं किया गया था। इसलिए, विभाग ने बजटीय आधार पर काम की मांग की गणना करने और बाद में अनुमोदित बजट को जिलों और ग्राम पंचायतों में वितरित करने का सहारा लिया था। इसके अलावा,

लेखापरीक्षा ने यह भी नोट किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं और जिला परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार नहीं की गई थीं। नमूना-जांचित जिलों में जॉब कार्ड जारी करने और अद्यतन करने में कमियां थीं।

[कंडिका 1.2.1, 1.2.2.2 और 1.4.1]

- इस योजना के लिए निधियां राज्य सरकार द्वारा 40 से 55 दिनों की विलंब से धनराशि जारी की गई थी। चूंकि इस योजना का उद्देश्य दैनिक मजदूरी की आवश्यकता वाले लोगों को रोजगार प्रदान करना था, इसलिए भुगतान में विलंब और मजदूरी का भुगतान न करने से योजना का उद्देश्य ही विफल हो गया।

[कंडिका 1.3.1]

- नरेगासॉफ्ट पोर्टल के आंकड़ों और विभाग द्वारा संधारित प्रमाणित वित्तीय खातों में विसंगतियां पाई गईं। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि तीन नमूना-जांचित जिलों में ₹ 32.62 लाख का व्यय अनियमित रूप से अस्वीकार्य मदों पर जैसे पुराने वाहनों के रखरखाव, सरकार/पीआरआई/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के वेतन और मनरेगा योजना के अंतर्गत न आने वाली अन्य मदों पर किया गया था।

[कंडिका 1.3.2 और 1.3.8]

- मार्च 2025 तक, 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए अकुशल श्रमिकों को ₹ 321.84 करोड़ की मजदूरी का भुगतान बकाया था। मजदूरी का भुगतान न होने से श्रमिकों को उनके अधिकार से वंचित होना पड़ा, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इस योजना के तहत गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान करने का उद्देश्य विफल हो गया।

[कंडिका 1.3.4]

- 2019-24 के दौरान निष्पादित किये जाने के लिए प्रस्तावित कुल 1,02,68,484 कार्यों में से, केवल 27,96,044 (27 प्रतिशत) कार्य ही पूरे हो पाए, और मार्च 2024 तक ₹ 2,633 करोड़ खर्च करने के बाद भी 50,21,492 (49 प्रतिशत) कार्य अधूरे पड़े थे। इसके अलावा, 24 प्रतिशत कार्यों को तो शुरू ही नहीं किया गया। यह पाया गया कि छः नमूना-जांचित जिलों में विस्तृत जांच के लिए चुने गए 480 कार्यों में से, जनवरी 2025 तक 139 कार्य अधूरे पड़े थे। मापी पुस्तिका' (एमबी) और 'मस्टर रोलस' (एमआर) जैसे अनिवार्य अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था और नरेगासॉफ्ट पोर्टल में ऐसे आवश्यक 'ऐप्लीकेशन कंट्रोलस' का अभाव था, जो एमबी से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के बिना भुगतान जारी होने से

प्रणाली को रोक सकें। ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भुगतान जारी कर दिया गया था, जबकि एमबी में कार्यों की माप दर्ज ही नहीं की गई थी, या अधूरी दर्ज की गई थी। कुछ कार्यों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि उन पर किया गया खर्च व्यर्थ/बेकार साबित हुआ, क्योंकि वे अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहे।

[कंडिकार्य 1.1.2.4, 1.3.5, 1.4.3.2, 1.4.6 और 1.4.7]

- इस योजना के अंतर्गत यथा परिकल्पित मनरेगा योजना का अनुश्रवण और संचालन राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा नियमित अंतरालों पर नहीं किया गया था। योजना के लिए अपेक्षित मानव बल को आवश्यकता के अनुसार तैनात नहीं किया गया था (8.24 से 21.07 प्रतिशत की कमी) और संगत अभिलेखों और पंजियों को भी संधारित नहीं किए गए थे। इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि काम की मांग और उसमें मजदूरी के भुगतान को सटीक रूप से दर्ज किया गया था, जिससे योजना के उद्देश्यों को विफल कर दिया गया था।

[कंडिकार्य 1.3.6, 1.4.2, 1.5.1.1 और 1.5.3]

- योजना के तहत 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार और महिला लाभार्थियों के प्रतिनिधित्व का आकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि नमूना-जांचित जीपी में निर्धारित मांग पंजियों को उचित तरीके से संधारित नहीं किए गए थे।

[कंडिकार्य 1.4.11 और 1.4.12]

- योजना के तहत शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी था क्योंकि शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं किया गया। इसके अलावा, सतर्कता प्रकोष्ठ नहीं बनाए गए, राज्य और जिला गुणवत्ता नियंत्रक (एसक्यूएम/डीक्यूएम) नियुक्त नहीं किए गए और मनरेगा दिशानिर्देश के तहत अपेक्षित सिटीज़न चार्टर तैयार नहीं किए गए।

[कंडिकार्य 1.5.1.2 से 1.5.1.5]

अनुशंसाएं:

- *अनुशंसा : विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि परियोजनाओं की शेल्फ, विकास योजना और श्रम बजट तैयार करने में आवधिक सर्वेक्षण और बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाए, जैसा कि मनरेगा के परिचालन दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई है।*

- अनुशंसा : विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय कर सकता है कि श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान में विलंब को कम किया जाए। साथ ही, विभाग को मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को विलंबित भुगतान के लिए बेरोजगारी भत्ते और क्षतिपूर्ति की शीघ्र गणना और विमुक्त करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- अनुशंसा : विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमोदित अनुमानों, मापी पुस्तकों, मस्टर रोल और अभिश्रव सहित पूरी कार्य संचिकाएँ उचित रूप से रखी जाए और विधिवत प्रमाणित हो साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने और अनियमितताओं को रोकने के लिए नरेगासॉफ्ट में सख्ती से इनका मिलान किया जाए।
- अनुशंसा : विभाग को नरेगासॉफ्ट में प्रविष्टियों के साथ भौतिक ई-एमआर का मिलान सुनिश्चित करना चाहिए, कार्य संचिकाओं में पूर्ण ई-एमआर बनाए रखना चाहिए, और मजदूरी के कम भुगतान, अधिक भुगतान या गैर-भुगतान को रोकने के लिए विसंगतियों के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए।
- अनुशंसा : विभाग को नियमित एसईजीसी बैठकों, शिकायतों का समय पर निपटारे, सतर्कता प्रकोष्ठों का गठन, एसक्यूएम/डीक्यूएम की नियुक्ति और मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुरूप नागरिक चार्टर तैयार करके जवाबदेही तंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।
- अनुशंसा : विभाग को सभी ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा की निर्धारित छमाही आवृत्ति का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और योजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के समय पर निपटान के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- अनुशंसा : विभाग मानव बल की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है और विशेष रूप से क्षेत्रीय स्तर पर योजना के प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त संख्या में कुशल कर्मचारी उपलब्ध करा सकता है।

झारखण्ड में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (एचएच) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। झारखण्ड में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जिम्मेदार था, जिसमें कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ

(वीडब्ल्यूएससी) का सहयोग लिया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (जीओजे) जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग था।

"झारखण्ड में जेजेएम के कार्यान्वयन" पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए (सितंबर और नवंबर 2024 के बीच) आयोजित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, योजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन और परिचालन पश्चात प्रबंधन के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचा मौजूद था, वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफायती और कुशल तरीके से किया गया था और कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियां अगले दो से तीन दशकों तक के लिए टिकाऊ होगी।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने जेजेएम के तहत ₹24,360.91 करोड़ की अनुमानित लागत से 98,067 योजनाओं को मंजूरी दी। इनमें से 97,535 योजनाओं को ₹24,665.29 करोड़ की एकरारित लागत से कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया था। हालांकि, दिसंबर 2024 तक, निधि की कमी के कारण केवल 27,249 (28 प्रतिशत) योजनाएं ही पूरी हो सकीं। इससे एफएचटीसी के माध्यम से परिवारों के लक्षित अच्छादन पर असर पड़ा।

[कंडिका 2.2.1]

- विभाग ने वर्ष 2019-24 के दौरान सहायता गतिविधियों पर केंद्रीय हिस्सा का केवल 1.41 प्रतिशत (₹83.35 करोड़) और जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर 0.85 प्रतिशत (₹50.58 करोड़) ही उपयोग कर सका, जबकि निर्धारित मानदंड क्रमशः पांच और दो प्रतिशत थे। इससे ग्राम कार्य योजनाओं के निर्माण और निर्धारित बुनियादी मापदंडों के अनुसार सभी जल स्रोतों के जल गुणवत्ता परीक्षण प्रभावित हुए।

[कंडिका 2.2.2]

- जब यह योजना शुरू की गई थी (अगस्त 2019), तब झारखण्ड में 52,27,214 ग्रामीण एचएच थे, जैसा कि जेजेएम पोर्टल पर दर्ज है। इनमें से 3,45,165 (सात प्रतिशत) एचएच को नल के पानी का कनेक्शन मिल चुका था। मार्च 2025 तक, झारखण्ड के 62,53,471 एचएच में से 34,31,115 (55 प्रतिशत) को एफएचटीसी प्रदान किया जा चुका था। हालांकि, राज्य में एफएचटीसी अच्छादन राष्ट्रीय औसत 80 प्रतिशत से कम था।

[कंडिका 2.2.3]

- जेजेएम के शुभारंभ (अगस्त 2019) के समय, 3.45 लाख (6.60 प्रतिशत) एचएच में एफएचटीसी थे, जो मार्च 2025 तक बढ़कर 34.31 लाख (55 प्रतिशत) परिवार हो गए। इसके अलावा, राज्य के 29,398 गांवों में से 6,439 (22 प्रतिशत) गांवों में एफएचटीसी का पूर्ण अच्छादन था, जबकि 6,958 (24 प्रतिशत) गांवों में एफएचटीसी नहीं थे।

[कंडिका 2.2.4]

- नमूना-जाँच के लिए चुनी गई 40 एकल ग्राम योजनाओं (एसवीएस) के जल प्रवाह के आंकड़ों (जुलाई और सितंबर 2024 के लिए) से पता चला कि 20 एसवीएस ने एचएच को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर की निर्धारित न्यूनतम मात्रा का केवल 37 प्रतिशत ही पानी की आपूर्ति की।

[कंडिका 2.2.5]

- लेखापरीक्षा द्वारा 479 लाभार्थियों के सर्वेक्षण से पता चला कि 19 से 40 प्रतिशत लाभार्थी जेजेएम के तहत उन्हें प्रदान की गई सेवा से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्हें पानी की अनियमित या न के बराबर आपूर्ति, अपर्याप्त पानी की आपूर्ति और गंदे पानी की आपूर्ति जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।

[कंडिका 2.2.6]

- जनगणना में दर्ज सभी राजस्व गांवों को जेजेएम के अंतर्गत योजना बनाने की मूल इकाई माना जाना था। हालांकि, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की स्थानीय सरकार निर्देशिका में जनगणना गांवों के रूप में दर्ज होने के बावजूद, 3,339 गांवों को जेजेएम के अंतर्गत योजना बनाने के उद्देश्य से शामिल नहीं किया गया था।

[कंडिका 2.3.1]

- कार्यान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) के द्वारा ग्राम पंचायतों (जीपी) को ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने में सहायता करनी थी। आईएसए की नियुक्ति में देरी (सितंबर 2021) के कारण, प्रमंडलो ने ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना, जैसा कि जेजेएम दिशानिर्देशों में परिकल्पना की गई थी, अपने स्तर पर वीएपी तैयार किया। डीडब्लूएसएम ने भी जेजेएम की योजना और कार्यान्वयन में कोई प्रभावी योगदान नहीं दिया।

[कंडिका 2.3.2]

- जेजेएम के योजना और कार्यान्वयन के लिए वीएपी मुख्य दस्तावेज थे। हालांकि, यह देखा गया कि वीएपी में योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार गांव में जल आपूर्ति का इतिहास और उपलब्धता, उपलब्ध जल स्रोतों का मानचित्रण और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं/जरूरत जैसी महत्वपूर्ण जानकारियों का अभाव था। राज्य स्तर पर तैयार की गई वार्षिक कार्य योजनाएं (एएपी) भी विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित नहीं थीं और कुछ सूचीबद्ध श्रेणियों में एचएच की संख्या वर्षों में घटती-बढ़ती रही।

[कंडिका 2.3.5 एवं 2.3.6]

- निर्धारित 31 से 42 दिनों के विरुद्ध, नमूना-जांचित 39 मामलों में से 36 (92 प्रतिशत) मामलों में निविदा जमा करने के लिए केवल पांच से 22 दिन का समय दिया गया। निविदा जमा करने के लिए कम समय देने से प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की संख्या सीमित होने का जोखिम था।

[कंडिका 2.4.1]

- एक ही संवेदक को कई निविदाएं दी गईं, जबकि उसके पास निविदा शर्तों के अनुसार पर्याप्त निविदा क्षमता और संसाधन (मानव बल और उपकरण) नहीं थे। इसके अलावा, नमूना-जांचित 39 निविदाओं में से 32 में भाग लेने वाले दो से तीन निविदाकारों के बीच मिलीभगत से बोली लगाने या बोली चक्रानुक्रम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इन संवेदकों ने एक-दूसरे के लिए बोली दस्तावेज खरीदे थे और समान उपकरणों और प्रमुख कर्मियों की सूची के आधार पर उन्हें कई अनुबंध दिए गए थे।

[कंडिका 2.4.2 एवं 2.4.3]

- संवेदकों को ₹27.13 करोड़ की अनुचित वित्तीय सहायता दी गई। इसमें अस्वीकार्य भुगतान (₹8.17 करोड़), मात्रा में अनाधिकृत परिवर्तन के लिए भुगतान (₹2.75 करोड़), मूल्य परिवर्तन का समायोजन न होना (₹41.01 लाख), निर्धारित क्षतिपूर्ति की वसूली न होना (₹5.08 करोड़), मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली न होना (₹9.77 करोड़) और अधिक भुगतान (₹94.75 लाख) शामिल थे। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित दो बहु-ग्राम योजनाओं (एमवीएस) में ₹280.85 करोड़ की लागत वृद्धि देखी गई।

[कंडिका 2.4.4]

- 2019-22 के दौरान, ₹1,578.25 करोड़ का व्यय तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा कार्यों के अनिवार्य निरीक्षण और प्रमाणीकरण को सुनिश्चित

किए बिना किया गया। नमूना-जांचित दो जिलों की टीपीआईए ने कार्यों के निरीक्षण और कार्य प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के अपने संविदात्मक दायित्व को पूरा नहीं किया। नमूना-जांचित एक प्रमंडल में, टीपीआईए द्वारा इंगित दोषों को ठीक किए बिना संवेदकों को ₹13.20 करोड़ का भुगतान किया गया।

[कंडिका 2.4.5]

- नमूना-जांचित गांवों में बहु पंचायत/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का गठन नहीं किया गया था, ताकि एमवीएस के संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) खर्चों को पूरा करने के लिए कनेक्शन और उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र किया जा सके। जल आपूर्ति परियोजनाओं के संचालन एवं रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वीडब्ल्यूएससी द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क भी एकत्र नहीं किया जा रहा था।

[कंडिका 2.4.6]

- नमूना-जांचित छः जिला प्रयोगशालाओं में से चार के पास निर्धारित पांच से आठ बुनियादी जल गुणवत्ता परीक्षण मापदंडों पर एनएबीएल की मान्यता नहीं थी, जिसका कारण आवश्यक मानव बल की तैनाती न होना और परीक्षण उपकरणों की अनुपलब्धता थी।
- नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं में अनुशंसित 35 प्रकार के उपकरणों के विरुद्ध केवल आठ (23 प्रतिशत) से 16 (46 प्रतिशत) प्रकार के उपकरण ही उपलब्ध थे। यह भी देखा गया कि नमूना-जांचित जिला प्रयोगशालाओं को 2021-22 के बाद पीएमयू द्वारा रसायनों की आपूर्ति नहीं की गई थी, जिसके कारण वे कुछ ऐसे परीक्षण नहीं कर सके जिनके लिए उनके पास सुविधाएं उपलब्ध थीं।

[कंडिका 2.5.1]

- जल स्रोतों के जीवाणु परीक्षण केवल दो से 34 प्रतिशत गांवों में ही किए जा सके। नमूना-जांचित पांच जिला प्रयोगशालाओं ने जेजेएम पोर्टल पर 37,928 जीवाणु परीक्षणों की प्रतिवेदन दी, लेकिन इनमें से किसी भी प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीवविज्ञानी/ जीवाणुविज्ञानी नहीं थे और पांच में से तीन प्रयोगशालाओं के पास आवश्यक एनएबीएल मान्यता नहीं थी।

[कंडिका 2.5.3]

- विभाग ने सभी जल स्रोतों की प्रारंभिक जांच के लिए पर्याप्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) की खरीद नहीं की और 2021-23 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के केवल 15 से 45 प्रतिशत गांवों को ही एफटीके उपलब्ध कराए गए थे।

[कंडिका 2.5.4]

- जेजेएम पोर्टल में आंकड़ा फीड करने के लिए जिम्मेदार जिला समन्वयकों ने अपलोड किए गए आंकड़ों का समर्थन करने के लिए उचित अभिलेख नहीं रखे। सितंबर 2024 तक, जहां छः नमूना-जांचित जिलों ने अपनी प्रगति प्रतिवेदन में 6.27 लाख एफएचटीसी के संयोजन की जानकारी दी, वहीं जेजेएम पोर्टल ने 8.31 लाख एफएचटीसी के संयोजन की जानकारी दी।

[कंडिका 2.6.1]

- किसी विशेष एसवीएस की कार्यप्रणाली की निगरानी करना मुश्किल था क्योंकि एसवीएस से जुड़े रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम (आरएमएस) की केवल डिवाइस आईडी को ही राज्य के ऑनलाइन सूचना और निगरानी प्रणाली (झार जल पोर्टल) के साथ मैप किया गया था, योजना के विवरण जैसे कि योजना आईडी और बस्ती/गांव या पंचायत के नाम को मैप नहीं किया गया था।
- वीडियोएससी के जल सहिया, जिन्हें झार जल पोर्टल पर आंकड़ा फीड करना था, उन्हें इंटरनेट सुविधा वाले मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराए गए थे और पोर्टल में आंकड़ा फीड करने के लिए उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।

[कंडिका 2.6.2]

अनुशंसाएं:

- *विभाग जल आपूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालिक स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित सहायता और जल गुणवत्ता निगरानी निधि का उपयोग कर सकता है।*
- *विभाग कार्यरत जल आपूर्ति प्रणालियों में खामियों को दूर करके प्रत्येक लाभार्थी को न्यूनतम निर्धारित मात्रा में जल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है।*
- *विभाग सभी परियोजनाओं का अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण सुनिश्चित कर सकता है। संवेदकों को भुगतान करने से पहले टीपीआईए के प्रतिकूल अवलोकन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।*

- विभाग जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए संचालन एवं रखरखाव नीति का प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है।
- विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि जेजेएम में निर्धारित कम से कम 13 बुनियादी गुणवत्ता मानकों के परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त की जाए।
- विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि क्षेत्र इकाइयों को पर्याप्त रसायन और एफटीके की खरीद और वितरण समय पर हो, और सभी जल स्रोतों के समय पर परीक्षण के लिए जल सहियाओं को प्रशिक्षण दिया जाए।
- विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि जेजेएम पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ा के समर्थन में उचित अभिलेख बनाए रखे जाएं।
- विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि प्रत्येक एसवीएस की निगरानी के लिए योजना विवरणों को झार जल पोर्टल पर मैप किया जाए।